"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 10] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 8 मार्च 2019—फाल्गुन 17, शक 1940

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, रायपुर

अटल नगर रायपुर, दिनांक 21 फरवरी 2019

क्रमांक ई 1-01/2019/एक-2.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री भीम सिंह, भा.प्र.से. (2008) संचालक, कृषि तथा अतिरिक्त प्रभार अपर आयुक्त, महात्मा गांधी नरेगा, संचालक, ग्रामीण आवास को उनके वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त गन्ना आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है.

अटल नगर रायपुर, दिनांक 27 फरवरी 2019

क्रमांक ई 1-01/2019/एक-2.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री मनोज कुमार पिंगुआ, भा.प्र.से. (1994), को केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति से वापस लौटने पर अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग तथा सार्वजनिक उपक्रम विभाग के पद पर पदस्थ करता है.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2019.

श्री मनोज कुमार पिंगुआ, भा.प्र.से. (1994), द्वारा प्रमुख सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग तथा सार्वजनकि उपक्रम विभाग का पदभार ग्रहण करने के दिनांक से श्री अमिताभ जैन, भा.प्र.से. (1989), अपर मुख्य सचिव, वित्त तथा अतिरिक्त प्रभार अपर मुख्य सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग तथा सार्वजनिक उपक्रम विभाग, अपर मुख्य सचिव, लोक निर्माण विभाग केवल अपर मुख्य सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग तथा सार्वजनिक उपक्रम विभाग के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे. शेष प्रभार यथावत् रहेगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कमलप्रीत सिंह, सचिव.

अटल नगर रायपुर, दिनांक 2 मार्च 2019

क्रमांक ई 1-01/2019/एक-2.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री कुमार लाल चौहान, भा.प्र.से. (2009), अपर कलेक्टर, दुर्ग को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त कलेक्टर, कांकेर के पद पर पदस्थ करता है.

2. श्री डोमन सिंह, भा.प्र.से. (2009), कलेक्टर, कांकेर को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त संयुक्त सचिव, मंत्रालय के पद पर पदस्थ करता है.

उपरोक्त स्थानांतरण में भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के पत्र क्र. 437/6/1/INST/ECI/FUNCT/MCC/2019, दिनांक 16.01.2019 के कंडिका-3 का पालन किया गया है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. बाजपेयी, संयुक्त सचिव.

ऊर्जा विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर रायपुर

अटल नगर रायपुर, दिनांक 28 जनवरी 2019

क्रमांक 137/एफ. 1-5/पॉ.कं. नियुक्ति/2018/13/1.—छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की कंडिका 77(i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा श्री शैलेन्द्र शुक्ला, को उक्त कंपनी का निदेशक नियुक्त करता है.

2. श्री शैलेन्द्र शुक्ला को छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की कंडिका 92 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा उन्हें पदभार ग्रहण करने की तारीख से 03 वर्ष तक अथवा आगामी आदेश तक, जो भी पहले हो, की अवधि के लिए, उपरोक्त कंपनी का अध्यक्ष नियुक्त करता है.

3. नियुक्ति की सेवा शर्तें पृथक से जारी की जायेंगी.

अटल नगर रायपुर, दिनांक 28 जनवरी 2019

क्रमांक 139/एफ. 1-5/पॉ.कं. नियुक्ति/2018/13/1.—छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर जनरेशन कंपनी लिमिटेड के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की कंडिका 77(i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा श्री शैलेन्द्र शुक्ला, को उक्त कंपनी का निदेशक नियुक्त करता है.

2. श्री शैलेन्द्र शुक्ला को छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर जनरेशन कंपनी लिमिटेड के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की कंडिका 92 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा उन्हें पदभार ग्रहण करने की तारीख से 03 वर्ष तक अथवा आगामी आदेश तक, जो भी पहले हो, की अवधि के लिए, उपरोक्त कंपनी का अध्यक्ष नियुक्त करता है.

3. नियुक्ति की सेवा शर्तें पृथक से जारी की जायेंगी.

अटल नगर रायपुर, दिनांक 28 जनवरी 2019

क्रमांक 141/एफ. 1-5/पॉ.कं. नियुक्ति/2018/13/1.—छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की कंडिका 77(i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा श्री शैलेन्द्र शुक्ला, को उक्त कंपनी का निदेशक नियुक्त करता है.

2. श्री शैलेन्द्र शुक्ला को छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की कंडिका 92 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा उन्हें पदभार ग्रहण करने की तारीख से 03 वर्ष तक अथवा आगामी आदेश तक, जो भी पहले हो, की अवधि के लिए, उपरोक्त कंपनी का अध्यक्ष नियुक्त करता है.

3. नियुक्ति की सेवा शर्तें पृथक से जारी की जायेंगी.

अटल नगर रायपुर, दिनांक 28 जनवरी 2019

क्रमांक 143/एफ. 1-5/पॉ.कं. नियुक्ति/2018/13/1.—छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की कंडिका 77(i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा श्री शैलेन्द्र शुक्ला, को उक्त कंपनी का निदेशक नियुक्त करता है.

2. श्री शैलेन्द्र शुक्ला को छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की कंडिका 92 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा उन्हें पदभार ग्रहण करने की तारीख से 03 वर्ष तक अथवा आगामी आदेश तक, जो भी पहले हो, की अवधि के लिए, उपरोक्त कंपनी का अध्यक्ष नियुक्त करता है.

3. नियुक्ति की सेवा शर्तें पृथक से जारी की जायेंगी.

अटल नगर रायपुर, दिनांक 28 जनवरी 2019

क्रमांक 145/एफ. 1-5/पॉ.कं. नियुक्ति/2018/13/1.—छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की कंडिका 77(i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा श्री शैलेन्द्र शुक्ला, को उक्त कंपनी का निदेशक नियुक्त करता है.

2. श्री शैलेन्द्र शुक्ला को छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की कंडिका 92 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा उन्हें पदभार ग्रहण करने की तारीख से 03 वर्ष तक अथवा आगामी आदेश तक, जो भी पहले हो, की अवधि के लिए, उपरोक्त कंपनी का अध्यक्ष नियुक्त करता है.

3. नियुक्ति की सेवा शर्तें पृथक से जारी की जायेंगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. एस. रत्नम, विशेष सचिव.

श्रम विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर रायपुर

अटल नगर रायपुर, दिनांक 30 जनवरी 2019

क्रमांक एफ 11-1/2019/16.—छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 (क्रमांक 23 सन् 2011) के अंतर्गत जारी अधिसूचना क्रमांक 11-2/2011/16, दिनांक 16-12-2011 को अधिक्रमित करते हुए, उक्त अधिनियम की धारा 3, 4, 5 एवं 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा नीचे दी गई अनुसूची में उल्लेखित विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सेवा, सेवा प्रदान करने के लिए निश्चित की गई समय-सीमा, सेवा प्रदान करने वाले पदाभिहित अधिकारी (पद), सक्षम अधिकारी एवं अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम, अधिसूचित करती है, अर्थात् :—

अनुसूची

स. क्र.	कार्यालय/ निकाय/ अभिकरण का नाम	छ.ग. लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 हेतु सेवा जो प्रदाय की जाती है	सेवा प्रदाय करने की समय सीमा (कार्य दिवस)	सेवा प्रदाय करने वाले पदाभिहित अधिकारी (पद)	सक्षम अधिकारी	अपीलीय अधिकारी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल	1. हितग्राहियों के पंजीयन.	15 दिवस	श्रम निरीक्षक/ उप श्रम निरीक्षक	श्रमायुक्त/नोडल अधिकारी, छ.ग. असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल	सचिव, छ.ग. असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल
		2. योजनाओं से संबंधित आवेदनों का निराकरण.	30 दिवस	सहायक श्रमायुक्त/ श्रम पदाधिकारी/ सहायक श्रम पदाधिकारी/ कलेक्टर द्वारा अधिकृत अधिकारी	श्रमायुक्त/नोडल अधिकारी, छ.ग. असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल	सचिव, छ.ग. असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल

यह अधिसूचना छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रभावशील होगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दिव्या उमेश मिश्रा, उप-सचिव.

जनसम्पर्क विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर रायपुर

अटल नगर रायपुर, दिनांक 2 मार्च 2019

क्रमांक एफ 01-01/2019/चौबीस.—राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ समाचार पत्र प्रतिनिधि अधिमान्यता नियम 2001 के नियम 4 अनुसार राज्य स्तरीय अधिमान्यता समिति निम्नानुसार गठित करता है :—

01. श्री तुषार कांति बोस, संपादक, दैनिक दण्डकारण्य समाचार, जगदलपुर
02. श्री जोसेफ पी. जॉन, सहायक संपादक, टाइम्स ऑफ इंडिया, रायपुर
03. श्री राजेश लोहोटी, राज्य संपादक, दैनिक पत्रिका, रायपुर
04. श्री प्रकाश होता, सीनियर एडिटर, ई.टी.वी/न्यूज 18, रायपुर
05. श्री शिव दुबे, संपादक, दैनिक भास्कर, रायपुर
06. श्री ब्रम्हवीर सिंह, संपादक, समन्वयक, दैनिक हरिभूमि, रायपुर

अटल नगर रायपुर, दिनांक 2 मार्च 2019

क्रमांक एफ 01-01/2019/चौबीस.—छत्तीसगढ़ पत्रकार कल्याण कोष समिति के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ पत्रकार कल्याण समिति का गठन कर निम्नानुसार प्रतिनिधि पत्रकारों को सदस्य के रूप में नामांकित करता है :—

01. श्री सुनील कुमार, प्रधान संपादक, सा.दै. छत्तीसगढ़
02. श्री हिमांशु द्विवेदी प्रधान संपादक, दैनिक हरिभूमि
03. श्री राजेश जोशी, संपादक, दैनिक नवभारत
04. श्री आलोक पुतुल, प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उमेश कुमार मिश्रा, संयुक्त सचिव.

मछली पालन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर रायपुर

अटल नगर रायपुर, दिनांक 30 जनवरी 2019

क्रमांक 72 एफ 6-11/36/तकनीकी/2018.—सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश क्रमांक एफ 10-20/2018/एक/1, दिनांक 20-12-2018 के परिपालन में विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 28-08-2018 द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी मत्स्य महासंघ मर्यादित, रायपुर के संचालक मंडल में नामांकित निम्न 03 सदस्यों का मनोनयन राज्य शासन एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है :—

क्र.	मनोनीत सदस्य का नाम/पता	पदनाम
1.	डॉ. जीवन लाल जलक्षत्री, नगर निगम चौक, भाठागांव, रायपुर (छ.ग.)	सदस्य
2.	श्री सोहन धीवर, ग्राम-परसवानी, विकासखण्ड-धरसींवा, रायपुर (छ.ग.)	सदस्य
3.	श्री बबला होतवानी, कटोरा तालाब, रायपुर (छ.ग.)	सदस्य

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमरनाथ प्रसाद, विशेष सचिव.

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर रायपुर

अटल नगर रायपुर, दिनांक 8 जनवरी 2019

क्रमांक एफ 5-1/2004/11/6.—छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक एफ-10-20/2018/एक/1 दिनांक 20-12-2018 के पालन में राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रीयल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, रायपुर के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की धारा 9 (ए) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त निगम में श्री अमिताभ जैन, अपर मुख्य सचिव, छ.ग. शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग को आगामी आदेश तक अध्यक्ष का कार्य करने हेतु दायित्व सौंपता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कमलेश बंसोड़, अवर सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 31 जनवरी 2019

क्रमांक/66/वा./भू.अ./प्र.क्र./17/अ-82/वर्ष 2016-17.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 11 के अंतर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल		प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
			खसरा नंबर	रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	आरंग	बरौदा प.ह.नं. 17	414 का भाग	0.16	अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, आरंग.	अटल नगर विकास क्षेत्र में स्थित ग्राम बरौदा में डी.व्ही.ओ.आर. एवं पार्किंग निर्माण.
			427 का भाग	0.03		
			428 का भाग	0.08		
			443 का भाग	0.10		
			1183 का भाग	0.03		
			1190 का भाग	0.13		
			1184 का भाग	0.01		
			1185	0.15		
			1187 का भाग	0.21		
			1191 का भाग	0.04		
			1207/1	0.03		
			1226/1	0.30		
			1324/1 का भाग	0.26		
			1325	1.26		
			1329/1	0.06		
			1342/1 का भाग	0.34		
			1359 का भाग	0.02		
			1369	0.18		
			1370 का भाग	0.02		
			1289/1	0.10		
			1294/1	0.14		
			1323/1	0.17		
			1327/1	0.60		
			1332/1	0.05		
			1333/1	0.02		
			1343 का भाग	0.01		
			1348 का भाग	0.15		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			1349	0.29		
			1350	0.18		
			1351	0.33		
			1352 का भाग	0.29		
			1360 का भाग	0.06		
			1361 का भाग	0.09		
			1362	0.10		
			1364/1 का भाग	0.60		
			1368	0.36		
			1371 का भाग	0.07		
			1378 का भाग	1.01		
			1363/1	0.34		
		योग	**39**	**8.37**		

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, आरंग के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बसवराजू एस., कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

कोरबा, दिनांक 28 जनवरी 2019

क्रमांक/1292/भू-अर्जन/41/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरबा
- (ख) तहसील-कोरबा
- (ग) नगर/ग्राम-चुईया
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-8.21 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
631	0.58
627/4	0.02
502/1	0.27
607/4	0.22
606	0.16
531	0.08
600	0.32
601, 602	0.16
592, 593	1.00
502/2	0.20
501/2	0.23
577/2	0.05
501/1	0.10
500	0.27
578	0.12
581	0.33
582	0.02
580	0.23
261	0.09
552	0.03

(1)	(2)
281	0.12
284	0.05
297	0.02
298, 305	0.12
306	0.04
278/1	0.22
278/2	0.07
311	0.10
310/2	0.05
351/1	0.20
313	0.02
306/1	0.12
293	0.19
292	0.05
296	0.05
304	0.12
307	0.11
312	0.12
309	0.08
349	0.16
579	0.09
545/4	0.12
553	0.03
555	0.45
545/1	0.08
533/3	0.03
533/1	0.06
360/1	0.25
351/2	0.05
291	0.14
267	0.04
266	0.14
533/2	0.02
881	0.08
556	0.02
557	0.12
योग	8.21

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है–चुईया व्यपवर्तन योजना के नहर निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोरबा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मो. कैसर अब्दुल हक, कलेक्टर एवं पदेन उप–सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़
इन्द्रावती खण्ड, पुराना मंत्रालय परिसर, रायपुर

रायपुर, दिनांक 8 मार्च 2019

क्रमांक 05/EPIC/03/2019/1834.—भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली द्वारा जारी निर्देश संख्या 3/4/ID/2019/SDR/VOL.I दिनांक 28 फरवरी, 2019 लोकसभा निर्वाचन–2019, मतदान दिवस पर निर्वाचकों के पहचान हेतु वैकल्पिक पहचान पत्र संबंधी आयोग के निर्देश का राज्य के शासकीय राजपत्र में सर्व साधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित की जाती है.

हस्ता./–

(सुब्रत साहू),
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी.

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

नई दिल्ली, दिनांक 28 फरवरी, 2019

आदेश

सं. 3/4/आई.डी./2019/एसडीआर/खण्ड-I.—यत:, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 61 में यह उपबंधित है कि निर्वाचकों के प्रतिरूपण का निवारण करने की दृष्टि से, ताकि उक्त अधिनियम की धारा 62 के अधीन वास्तविक निर्वाचकों का उनके मत देने के अधिकार को और अधिक प्रभावी बनाया जा सके, मतदान के समय निर्वाचकों की पहचान सुनिश्चित करने के साधन के रूप में निर्वाचकों के लिए निर्वाचक फोटो पहचान पत्र के उपयोग हेतु नियमों के द्वारा उपबंध किए जा सकते हैं; तथा

2. यत:, निर्वाचकों का रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 का नियम 28 निर्वाचन आयोग को, इस दृष्टि से कि निर्वाचकों के प्रतिरूपण का निवारण हो सके तथा मतदान के समय उनकी पहचान को सरल बनाया जा सके, निर्वाचकों को राज्य की लागत पर फोटोयुक्त निर्वाचक फोटो-पहचान पत्र जारी करने के लिए निर्देश देने की शक्ति प्रदान करता है; तथा

3. यत:, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 49 ज(3) और 49 ट (2) (ख) में यह उपबंधित है कि जहां किसी निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचकों को निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 के नियम 28 के उक्त उपबंधों के अधीन निर्वाचक फोटो पहचान-पत्र दिए गए हैं, वहां निर्वाचकों को मतदान केन्द्र में अपना निर्वाचक फोटो पहचान-पत्र दिखाना होगा तथा उनकी ओर से उन निर्वाचक फोटो पहचान पत्रों को नहीं दिखाए जाने या दिखाने में असमर्थ होने पर उन्हें मत डालने की अनुमति देने से इन्कार किया जा सकता है; तथा

4. यत:, उक्त अधिनियम और नियमों के उपर्युक्त उपबंधों को मिलाकर एवं सामंजस्यपूर्ण ढंग से उनके अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि यद्यपि मत देने का अधिकार निर्वाचक नामावली में नाम के होने से ही होता है, यह निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य की लागत पर, मतदान के समय उनकी पहचान सुनिश्चित करने के साधन के रूप में प्रदान करवाए गए निर्वाचक फोटो पहचान पत्र के प्रयोग पर भी निर्भर करता है, तथा दोनों का एक साथ प्रयोग करना होता है; तथा

5. यत:, भारत निर्वाचन आयोग ने एक समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार सभी निर्वाचकों को निर्वाचक फोटो पहचान-पत्र (ईपीआईसी) जारी करने का निर्देश देते हुए 28 अगस्त, 1993 को एक आदेश जारी किया था; तथा

6. यत:, देश में 99% निर्वाचकों से अधिक को निर्वाचक फोटो पहचान पत्र जारी किए जा चुके हैं; तथा

8. अत:, अब, सभी संबद्ध कारकों तथा विधिक एवं तथ्यात्मक स्थितियों को ध्यान में रखते हुए, निर्वाचन आयोग, एतद्द्वारा, यह निर्देश देता है कि आगामी लोक सभा साधारण निर्वाचन, 2019 तथा लोक सभा साधारण निर्वाचन के साथ होने वाले राज्य विधान सभाओं के साधारण निर्वाचनों एवं उप निर्वाचनों के लिए सभी निर्वाचक जिन्हें निर्वाचक फोटो पहचान पत्र जारी किए गए हैं, मतदान स्थल पर अपना मत डालने से पहले अपनी पहचान सुनिश्चित करने हेतु अपना निर्वाचक फोटो पहचान पत्र दिखाएंगे. ऐसे निर्वाचक जो अपना निर्वाचक फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं, उन्हें अपनी पहचान स्थापित करने के लिए निम्नलिखित वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा :—

(i) पासपोर्ट ;
(ii) ड्राइविंग लाइसेन्स,
(iii) राज्य/केन्द्र सरकार के लोक उपक्रम, पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र,
(iv) बैंकों/डाकघरों द्वारा जारी की गई फोटोयुक्त पासबुक,
(v) पैन कार्ड,
(vi) एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड,
(vii) मनरेगा जॉब कार्ड,
(viii) श्रम मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड,
(ix) फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज,
(x) सांसदों, विधायकों/विधान परिषद् सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र
(xi) आधार कार्ड

9. एपिक के संबंध में, लेखन अशुद्धि वर्तनी की अशुद्धि इत्यादि को नजरअंदाज कर देना चाहिए बशर्ते निर्वाचक की पहचान ईपीआईसी से सुनिश्चित की जा सके. यदि कोई निर्वाचक फोटो पहचान पत्र प्रदर्शित करता है, जो कि किसी अन्य सभा निर्वाचन-क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा जारी किया गया है, ऐसे एपिक भी पहचान स्थापित करने हेतु स्वीकृत किए जाएंगे बशर्ते उस निर्वाचक का नाम जहां वह मतदान करने आया है उस मतदान केंद्र से संबंधित निर्वाचक नामावली में उपलब्ध हो. यदि फोटोग्राफ इत्यादि के बेमेल होने के कारण निर्वाचक की पहचान सुनिश्चित करना संभव न हो तब निर्वाचक को उपर्युक्त पैरा 8 में वर्णित किसी एक वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेज को प्रस्तुत करना होगा.

10. उक्त पैरा 8 में किसी भी बात के होते हुए, प्रवासी निर्वाचक जो अपने पासपोर्ट में उल्लिखित विवरणों के आधार पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20क के अधीन निर्वाचक नामावलियों में पंजीकृत हैं, को मतदान केन्द्र में केवल उनके मूल पासपोर्ट (तथा कोई अन्य पहचान दस्तावेज नहीं) के आधार पर ही पहचान आएगा.

आदेश से,

हस्ता./-
(के. एफ. विल्फ्रेड)
वरिष्ठ प्रधान सचिव.

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001

New Delhi, dated 28th February, 2019

ORDER

No. 3/4/ID/2019/SDR/VOL.I.—1. Whereas, Section 61 of the Representation of the People Act, 1951 provides that with a view to preventing impersonation of electors, so as to make the right of genuine electors to vote under section 62 of that Act more effective, provisions may be made by rules under that Act for use of Electors Photo Identity Card for electors as the means of establishing their identity at the time of polling; and

2. Whereas, Rule 28 of the Registration of Electors Rules, 1960, empowers the Election Commission to direct, with a view to preventing impersonation of electors and facilitating their identification at the time of poll, the issue of Electors Photo Identity Card to electors bearing their photographs at State cost; and

3. Whereas, Rules 49H (3) and 49K (2) (b) of the Conduct of Elections Rules, 1961, stipulate that where the electors of a constituency have been supplied with Electors Photo Identity Card under the said provisions of Rule 28 of the Registration of Electors Rules, 1960, the electors shall produce their Electors Photo Identity Card at the polling station and failure or refusal on their part to produce those Electors Photo Identity Card may result in the denial of permission to vote; and

4. Whereas, a combined and harmonious reading of the aforesaid provisions of the said Act and the Rules, makes it clear that although the right to vote arises by the existence of the name in the electoral roll, it is also dependent upon the use of the Electors Photo Identity Card, where provided by the Election Commission at State cost, as the means of establishing their identity at the time of polling and that both are to be used together; and

5. Whereas, the Election Commission made an order on the 28th August 1993, directing the issue of Electors Photo Identity Card (EPIC) to all electors, according to a time bound programme; and

6. Whereas, Electors Photo Identity Cards have been issued to more than 99% electors in the country; and

8. Now, therefore, after taking into account all relevant factors and the legal and factual position, the Election Commission hereby directs that for the upcoming General Election to the House of the People, 2019, and General Elections and Bye-elections to state Legislative Assemblies to be held along with the General Election to the House

of the people, all electors who have been issued EPIC shall produce the EPIC for their identification at the polling station before casting their votes. Those electors who are not able to produce the EPIC shall produce one of the following alternative photo identity documents for establishing their identity :—

(i) Passport,
(ii) Driving License,
(iii) Service Identity Cards with photograph issued to employees by Central/State Govt./PSUs/Public Limited Companies,
(iv) Pasbooks with photograph issued by Bank/Post Office,
(v) PAN Card,
(vi) Smart Card issued by RGI under NPR,
(vii) MNREGA Job Card,
(viii) Health Insurance Smart Card issued under the scheme of Ministry of Labour,
(ix) Pension document with photograph
(x) Official identity cards issued to MPs/MLAs/MLCs, and
(xi) Aadhaar Card.

9. In the case of EPIC, clerical errors, spelling mistakes, etc. should be ignored provided the identity of the elector can be established by the EPIC. If an elector produces an EPIC which has been issued by the Electoral Registration Officer of another Assembly Constituency, such EPIC shall also be accepted for identification provided the name of that elector finds place in the electoral roll pertaining to the polling station where the elector has turned up for voting. If it is not possible to establish the identity of the elector on account of mismatch of photograph, etc. the elector shall have to produce one of the alternative photo documents mentioned in para 8 above.

10. Notwithstanding anything in Para 8 above, overseas electors who are registered in the electoral roll under Section 20A of the Representation of the People Act, 1950, based on the particulars in their Passport, shall be identified on the basis of their original passport only (and no other identity document) in the polling station.

By order,

Sd/-
(K. F. WILFRED)
SR. Principal Secretary.

संचालनालय, स्थानीय निधि संपरीक्षा
ब्लाक-1, द्वितीय तल, इंद्रावती भवन, अटल नगर, जिला-रायपुर, छत्तीसगढ़

अटल नगर, दिनांक 23 फरवरी 2019

क्रमांक/एल.एफ.ए./प्रशा./2019/1962.—छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग के पत्र क्रमांक/87/120/2017/स्था/चार, अटल नगर, रायपुर दिनांक 16-01-2019 द्वारा प्रदान की गई अनुमति के अनुक्रम में छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के माध्यम से चयनित एवं स्थानीय निधि संपरीक्षा विभाग में नियुक्त परिवीक्षाधीन, सहायक संचालक के लिये विभागीय परीक्षा भाग-दो निम्नलिखित कार्यक्रम अनुसार संचालनालय स्थानीय निधि संपरीक्षा अटल नगर, जिला-रायपुर में आयोजित होगी :

विभागीय परीक्षा भाग-2

क्र. (1)	प्रश्न पत्र (2)	दिनांक (3)	दिन (4)	विषय (5)	अवधि (6)
1.	प्रथम (अ)	11-03-2019	सोमवार	विधान मंडल के अधिनियम तथा सांविधिक नियम (सैद्धांतिक पुस्तक रहित)	01.30 घंटे 10.30 से 12.0 बजे तक

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.	प्रथम (ब)	11-03-2019	सोमवार	विधान मंडल के अधिनियम तथा सांविधिक नियम (व्यवहारिक पुस्तक सहित)	02.30 घंटे 2.30 से 05.00 बजे तक
3.	द्वितीय	12-03-2019	मंगलवार	सेवा नियम एवं विनियम (सैद्धांतिक पुस्तक रहित)	03 घंटे 10.30 से 01.30 बजे तक
4.	तृतीय	12-03-2019	मंगलवार	सेवा नियम एवं विनियम (व्यवहारिक पुस्तक सहित)	03 घंटे 2.30 से 05.30 बजे तक
5.	चतुर्थ	13-03-2019	बुधवार	शासकीय लेखे, लोक निर्माण लेखा (सैद्धांतिक पुस्तक रहित)	03 घंटे 10.30 से 01.30 बजे तक
6.	पंचम	13-03-2019	बुधवार	शासकीय लेखे, लोक निर्माण लेखा (व्यवहारिक पुस्तक सहित)	03 घंटे 2.30 से 05.30 बजे तक
7.	षष्टम	14-03-2019	गुरूवार	शासकीय अंकेक्षण एवं वाणिज्य अंकेक्षण (सैद्धांतिक पुस्तक रहित)	03 घंटे 10.30 से 01.30 बजे तक
8.	सप्तम	14-03-2019	गुरूवार	वित्तीय प्रबंध एवं लागत लेखा (व्यवहारिक पुस्तक सहित)	03 घंटे 2.30 से 05.30 बजे तक

एस. एस. ताण्डेय,
उप संचालक/परीक्षा नियंत्रक.

राजस्व मण्डल छत्तीसगढ़ बिलासपुर

बिलासपुर, दिनांक 8 फरवरी 2019

CERTIFICATE OF TRANSFER OF CHARGE

क्रमांक/45/स्थापना/रा.मं./2019.—Certified that we have in the AN/FN of this day on 08-02-2019 respectively made over and received charge of the office of the Member, Board of Revenue Chhattisgarh, Bilaspur vide GAD's order No. E/-1-01/2019/एक-2 Raipur dated 04-02-2019 and that the officer receiving charge travelled during joining time on AM/PM (Mention dates).

हस्ता./-
अवर सचिव.